न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 230 / 2024
अनवान : –

1. सांवताराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन बाच्छुसर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 17/7/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 167 / 167 की कुल 7.9700 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रावताराम पुत्र नन्दराम दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र नन्दराम है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी के पिता का सही नाम हनुमानसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। रामचन्द्र पुत्र भैराराम, तुलछाराम पुत्र मोमनराम व रामकुमार पुत्र हेतराम ने वादी के नाम के संबंध में शपथ पत्र पेश किया गया है जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम रावताराम पुत्र नन्दराम दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम सांवताराम पुत्र नन्दराम है जो कि वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जनआधार कार्ड आदि में दर्ज है इस प्रकार राजस्व रिकार्ड में नाम गलत दर्ज होने के कारण वादी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है तथा वादी के पिता का सही नाम हनुमानसिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 167/167 की कुल 7.9700 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है उक्त वाद भूमि में वादी अपना नाम रावताराम के स्थान पर सांवताराम दर्ज करवाना चाहता है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी का नाम सांवतराम अंकित है। वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 167/167 की कुल 7.9700 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है, में **वादी का नाम रावताराम पुत्र नन्दराम के स्थान पर सांवताराम पुत्र नन्दराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/7/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रक़रण संख्या – 230/2024

अनवान : –

1. सांवताराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन वाच्छुसर तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 230 सन 2024 निर्णय दिनांक 17/07/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 167/167 की कुल 7.9700 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज है, में **वादी का नाम रावताराम पुत्र नन्दराम के स्थान पर सांवताराम पुत्र नन्दराम के अंकन किये जाने कि घोषणा की जाती है।** अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/7/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.21 17:21:04 IST
Reason: SelfAttested